

*टिप्पणी/NOTES

1. कृपया हर प्रकार के भुगतान के लिए अलग-अलग चालान का प्रयोग करें ।
Please use a separate challan for each type of payment.
2. कृपया नोट करें कि आपका स्थायी लेखा संख्या दर्शाना अनिवार्य है ।
Please note that quoting your Permanent Account Number (PAN) is mandatory.
3. कृपया नोट करें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 बी के अनुसार झूठा स्थायी लेखा संख्या दर्शाने पर 10000/- रूपये के दंड की व्यवस्था है ।
Please note that quoting false PAN may attract a penalty of Rs. 10,000/- as per section 272B of I.T. Act, 1961.
4. कृपया नोट करें कि अपील फ़ीस जमा करवाने हेतु या तो **मुख्य शीर्ष 020 या 021** (करदाता की प्रास्थिति पर निर्भर करता है) को “उपयुक्त कर” के अन्तर्गत चिन्हित करना है; जिसके पश्चात; **गौण शीर्ष; स्वतः निर्धारण कर (300)** को ‘भुगतान निर्देशन’ के अन्तर्गत चिन्हित करना है तथा **अन्य** के अन्तर्गत ‘भुगतान का विवरण’ में राशि भरनी है ।
Please note that to deposit Appeal Fees either **Major Head 020 or 021** (depending upon the tax payer's status) has to be ticked under 'Tax Applicable'. Followed by this; **Minor Head: Self Assessment Tax (300)** has to be ticked under 'Type of Payment' and the amount is to be filled under **Others** in 'Details of Payments'
5. ब्लाक अवधि के मामलों में करो, अपील शुल्कों आदि को जमा करने के लिए अवधि के पहले निर्धारण वर्ष का उल्लेख करते हुए ब्लाक अवधि के अंतिम निर्धारण वर्ष की प्रविष्टि करें। उदाहरण के तौर पर यदि ब्लाक अवधि 1.04.85 से 5.3.96 तक है तो निर्धारण वर्ष के लिये दर्शाये गए स्थान में 1986-97 की प्रविष्टि करनी होगी। यदि कर जमा करवाए जा रहे हैं तो भुगतान के प्रकार के अन्तर्गत स्वतः निर्धारण कर (300) को चिन्हित करें तथा “कर” के अन्तर्गत राशि लिखे जबकि अपील राशि के संबंध में “अन्य” के अन्तर्गत राशि भरें।
To deposit taxes, appeal fees, etc. in respect of block period cases, enter the first Assessment Year of the block period followed by the last Assessment Year of the period. For example, if the block period is 1/04/85 to 5/3/96, it would be entered as 1986-97 in the space indicated for Assessment Year. If taxes are being deposited, tick the box Self Assessment (300) under Type of Payment and fill up amount under 'Tax' while in respect of appeal fees, enter amount under 'Others'.

कृपया इस चालान का प्रयोग पूर्व पृष्ठ पर दर्शायें करें (भुगतान निर्देशन) को जमा कराने के लिए करें। कृपया इस चालान का प्रयोग स्रोत पर काटे गए कर (टी डी एस) स्रोत कर संग्रहण (टी.सी.एस.) को जमा कराने के लिए नहीं करें।

**PLEASE USE THIS CHALLAN FOR DEPOSITING TAXES (TYPES OF PAYMENT) MENTIONED OVERLEAF.
KINDLY DO NOT USE THIS CHALLAN FOR DEPOSITING TAX DEDUCTION AT SOURCE (TDS)**

कृपया जांच करें कि बैंक पावती में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है :-

1. बैंक शाखा का 7 अंक की बी एस आर कोड
2. चालान जमा करने की तारीख (दिन, माह, वर्ष)
3. चालान क्रम संख्या

आपको इसका आय की विवरणी में उल्लेख करना होगा।

KINDLY ENSURE THAT THE BANK'S ACKNOWLEDGEMENT CONTAINS THE FOLLOWING:-

1. 7 DIGIT BSR CODE OF THE BANK BRANCH
2. DATE OF DEPOSIT OF CHALLAN (DD MM YY)
3. CHALLAN SERIAL NUMBER

THESE WILL HAVE TO BE QUOTED IN YOUR RETURN OF INCOME.